अनुदान संख्या 41 – राजस्व विभाग
GRANT No. 41–DEPARTMENT OF REVENUE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6196,98,00		6720,95,00	6691,31,73	–29,63,27
पूरक	Supplementary	523,97,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					15,80,22
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			82,00	55,60	–26,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" – "Secretariat-General Services" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	8787.00			
पू.	S.	1627.00	8961.80	8685.82	–275.98
पु.	R.	–1452.20			
मुख्य शीर्ष "2045" वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	Major Head "2045" Other Taxes and Duties on Commodities and Services		1000.00	883.12	–116.88
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	4295.00			
पू.	S.	1881.00	5491.36	5165.81	–325.55
पु.	R.	–684.64			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	2480.00			
पू.	S.	788.00	2981.17	2799.36	–181.81
पु.	R.	–286.83			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	23800.00			
पू.	S.	713.00	20799.45	20372.52	–426.93
पु.	R.	–3713.55			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	572500.00			
पू.	S.	47388.00	631195.00	631195.00	. .
पु.	R.	11307.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	6750.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6750.00			

(I) 11922.75 लाख रु.का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 11662.75 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.11922.75 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.11662.75 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2047" - "काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 - न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" - अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 12.75 लाख रु. का पूरक प्रावधान साल खत्म होने से पहले अनुदान को उपयोग करने वाली प्रणाली को स्थापित न किए जाने की वजह से अनुदान का उपयोग न किए जाने के कारण था।

(A) Major Head "2047" – "Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Adjudicating Authority" – supplementary provision of Rs.12.75 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 – due to non-utilisation of grant as the system for utilising the same could not be put in place before the year end.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अधिनियम एवं विनियम के प्रशासन के लिए अदायगी - राज्यों को मूल्यवर्धित कर संबंधित व्यय के लिए अनुदान" - 5000.00 लाख रु. कर निर्धारण अध्ययनों के लिए दो संस्थानों की स्थापना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "3601"- "Non-Plan Grants - Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Act and Regulations - Grants to States for VAT related Expenditure"- Rs.5000.00 lakhs - due to non-finalisation of the setting up of two institutes of Taxation Studies.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "योजनेतर अनुदान - संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान" -

(C) Major Head "3602" - "Non-Plan Grants - Grant to cover up Gap in Resources"-

(क) "केंद्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण राजस्व हानि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति" - 5000.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Compensation to UTs for Revenue losses due to phasing out of CST" - Rs.5000.00 lakhs – due to non-receipt of the proposals of Central Sales Tax compensation from the Union Territory Governments.

(ख) ''मूल्यवर्धित कर लागू किए जाने के कारण राजस्व हानियों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति'' - 1650.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से मूल्यवर्धित कर संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - राजस्व विभाग'' - 8777.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1627.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10404.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1723.61 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया की फिननेट परियोजना के चरण II के पूर्ण न होने, कम्प्यूटरों और इनके सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने, पुरस्कार संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलाइड उद्योग - नीमच अफीम कारखाना - प्रबंधन'' - 754.18 लाख रु. के मूल प्रावधान को 153.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 907.18 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 270.49 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) शिक्षा शुल्क/बाल शिक्षा भत्ता का समाशोधन न किए जाने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीबीएन द्वारा प्रशासन के अंश लागत पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2047'' -

(क) ''विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय'' - 2745.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3945.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त

(b) “Compensation to UTs for Revenue losses due to introduction of VAT”- Rs.1650.00 lakhs - due to non-receipt of VAT related claims from Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head “2052” - “Secretariat – Department of Revenue” – the original provision of Rs.8777.50 lakhs was augmented to Rs.10404.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1627.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1723.61 lakhs (including supplementary grant) - due to non-completion of phase II of FINnet project of Financial Intelligence Unit-India, non-procurement of computers and its peripherals, non-finalisation of reward cases and economy measures.

(B) Major Head “2875” – “Opium and Alkaloid Industries – Neemuch Opium Factory – Management”- the original provision of Rs.754.18 lakhs was augmented to Rs.907.18 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.153.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.270.49 lakhs (including supplementary grant) - due to non-clearance of tuition fees/children education allowance, less expenditure incurred by Central Industrial Security Force and CBN towards share cost of administration.

(III) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2047”-

(a) “Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate”- the original provision of Rs.2745.00 lakhs was augmented to Rs.3945.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs

पदों के न भरे जाने, कम्प्यूटरों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और पुरस्कार संबंधी मामलों/अन्वेषणों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 1088.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1088.01 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less procurement of computers and non-finalisation of reward cases/investigations.

(ख) ''सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण - अपीलीय अधिकरण'' - 1065.08 लाख रु. के मूल प्रावधान को 275.42 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1340.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपचार और किराया, दरों एवं करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 78.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal – Appellate Tribunal" - the original provision of Rs.1065.08 lakhs was augmented to Rs.1340.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.275.42 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.78.33 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries, information technology, medical treatment and rent, rates & taxes.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''स्वापक नियंत्रण - केंद्रीय स्वापक ब्यूरो'' - 2200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 788.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2988.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 375.40 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2070" - "Narcotics Control – Central Bureau of Narcotics" - the original provision of Rs.2200.00 lakhs was augmented to Rs.2988.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.788.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.375.40 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलाइड उद्योग - गाजीपुर अफीम कारखाना - प्रबंधन'' - 1518.39 लाख रु. के मूल प्रावधान को 172.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1690.39 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मासिक बिलों का समाशोधन न किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, पेंशन प्रभारों और सीबीएन द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण 26.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2875"- "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory – Management" - the original provision of Rs.1518.39 lakhs was augmented to Rs.1690.39 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.172.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.26.71 lakhs – due to non-clearance of monthly bills of Central Industrial Security Force, requirement of less funds towards leave travel concession, pensionary charges and less expenditure incurred by CBN.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2045'' - ''संग्रहण प्रभार - अन्य कर और शुल्क - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर'' के अंतर्गत 106.88 लाख रु. की बचत (990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संग्रहण प्रभारों की अदायगी के लिए हवाई कंपनियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2045" – "Collection Charges – Other Taxes and Duties – Inland Air Travel Tax" – saving of Rs.106.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.990.00 lakhs) was due to receipt of less claims from airlines for payment of collection charges.

(V) मुख्य शीर्ष ''2875'' - ''अफीम और एल्केलाइड उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2875"- "Opium and Alkaloid Industries"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''गाजीपुर अफीम कारखाना - अफीम की खरीद'' - 2564.77 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''नीमच अफीम कारखाना'' -

(क) ''अफीम की खरीद'' - 2038.39 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें फसल खराब होने की वजह से अफीम की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुईं।

(ख) ''अन्य व्यय'' - 548.17 लाख रु. की बचत (1048.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के निर्यात मूल्य में वृद्धि होने और अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्यह्रास होने की वजह से राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान- केंद्रीय बिक्री को चरणबद्व रूप से समाप्त किए जाने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत 50000.00 लाख रु. की बचत (245000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से केंद्रीय बिक्री कर संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (66456.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 49269.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2047'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को अनुदान'' - 149.12 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान - मूल्यवर्धित कर

(A) "Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium" – saving of Rs.2564.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs); and

(B) "Neemuch Opium Factory"-

(a) "Purchase of Opium" – saving of Rs.2038.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less procurement of opium owing to crop failure.

(b) "Other Expenditure" – saving of Rs.548.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1048.00 lakhs) was due to increase in revenue receipts owing to increase in export price of Opium and depreciation of rupee vis-à-vis US Dollar.

(VI) Under Major Head "3601"- "Non-Plan Grants - Grant to cover up Gap in Resources – Compensation to State Governments for Revenue losses due to phasing out of CST" - saving of Rs.50000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.245000.00 lakhs) was due to receipt of less Central Sales Tax claims from the State Governments.

3.(I) The above savings were partly (Rs.66456.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.49269.00 lakhs in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads:-

(A) Major Head "2047" - "Other Expenditure – Grants to National Institute of Public Finance and Policy" – Rs.149.12 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Non Plan Grants - Grant to cover up Gap in Resources -

लागू किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 66307.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2875'' - "अफीम और एल्केलायड उद्योग'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "गाजीपुर एल्केलायड वर्क्स'' -

(क) "प्रबंधन'' - 136.09 लाख रु. का अधिक व्यय (151.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3743.43 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के परिवहन और भंडारण के लिए नए प्लास्टिक कंटेनरों की खरीद किए जाने और छठे केंद्रीय वेतन आयोग को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय'' - 718.07लाख रु. का अधिक व्यय (683.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एल्केलाइड औषधियों के निर्माण के लिए अच्छी अफीम पर प्रभार लगाए जाने के कारण हुआ।

(खा) "नीमच एल्केलाइड वर्क्स - प्रबंधन'' - 337.30 लाख रु. का अधिक व्यय (223.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4297.60 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने, अफीम के परिवहन और भंडारण के लिए नए प्लास्टिक कंटेनरों की खरीद किए जाने, विज्ञापनों की दरों में वृद्धि होने, बिजली और जल प्रभारों के प्रशुल्क में बढ़ोतरी होने, फर्नीचर एवं कार्यालय उपस्करों की खरीद किए जाने और रेलवे के विलंबित भाड़ा/बिजली बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

4. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलायड फैक्टरियां:-***

ये निधियां 1970-71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया

Compensation to States for Revenue Loss due to introduction of VAT" – Rs.66307.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - under the following heads:-

(A) "Ghazipur Alkaloid Works" –

(a) "Management"– excess of Rs.136.09 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3743.43 lakhs including supplementary grant of Rs.151.00 lakhs) was due to purchase of new plastic containers for transportation and storage of Opium and implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(b) "Other Expenditure" – excess of Rs.718.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.683.25 lakhs) was due to charging of good opium for production of Alkaloid Drugs.

(B) "Neemuch Alkaloid Works - Management" – excess of Rs.337.30 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4297.60 lakhs including supplementary grant of Rs.223.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report, purchase of new plastic containers for transportation and storage of opium, increase in rate of advertisements, enhancement in tariff of electricity and water charges, purchase of furniture and office equipments and clearance of pending railways freight/electricity bills.

4. ***Depreciation of Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-***

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during

गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

वर्ष 2008-09 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

Account of Depreciation Reserve Fund for 2008-2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	गाजीपुर/Ghazipur		**नीमच/Neemuch**	
	अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works**
अथशेष/Opening Balance	6,95,12	6,35,93	3,23,20	11,34,51
प्राप्तियां/Receipts	25,52	44,79	25,00	60,00
जमा किया गया ब्याज/Interest Credited	22,26	22,42	18,00	52,54
अदायगियां/Payments	. .	. .	. .	. .
अंतशेष/Closing Balance	7,42,90	7,03,14	3,66,20	12,47,05